उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F67440

संदर्भ संख्या सी–५/एनओसी–१२६/२०१० दिनांक 25-5-10

सेवा में,

मे0 मै० बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड
(शुगर यूनिट) ग्राम बरखेडा, बीसलपुर,
पीलीभीत

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण०) अधि० १९७४ एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधि० १९८१ के प्राविधानों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक ११-१२-०९ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (शु०डि०)
ग्राम बरखेडा, बीसलपुर,
पीलीभीत

(ख) उत्पादन : ९० मेगावाट थर्मल पावर

(ग) मुख्य कच्चे माल :

कोयला-१६०० एम०टी०/दिन

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :

२००० कि०ली०/दिन

(ड.) प्रयुक्त ईधन :

कोयला- १६०० एम०टी०/दिन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....३०-७-१०................................ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७- उद्योग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चार्टर के प्राविधानों के अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

८- उत्पादन प्रक्रिया तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इण्टर लाकिंग की व्यवस्था किया जायेगा।

९- उद्योग द्वारा स्थल पर नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत हरित पटिटका के रूप में विकसित किया जायेगा।

१०- उद्योग की स्थापनाप का कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक १४-९-०६ के अनुरूप स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल कमेटी से क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।

११- उद्योग से जनित राख के उपयोग हेतु सीमेंट प्लांट से अनुबंध किया जायेगा।

१२- उद्योग से औद्योगिक प्रक्रिया से जनित सालिड वेस्ट (राख) के सुरक्षित भंडारण/उपयोग हेतु विस्तृत योजना का विवरण (१० वर्ष तक की) एक माह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

रण (१० वर्ष तक की) एक माह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

१३- उद्योग दो माह के अंदर जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था ई०टी०पी० पूर्ण डिजाइन डिटेल राज्य बोर्ड में जमा किया जायेगा।

१४- उद्योग द्वारा चार्टर के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

१५- उद्योग सुनिश्चित करें कि ऐश या फलाई ऐश ओवर फलो अथवा अन्य किसी सतही जल श्रोत/नदी में नहीं किया जायेगा।

१६- उद्योग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उपरशेक्त अंकित शर्तों में से क्रम संख्या- ७ से १६ तक शर्तें संवेदनशील श्रेणी की हैं उक्त का अनुपालन समयबद्व रूप से करायें जाने के उददेश्य से रू० दस लाख की बैंक गारंटी वांछित हैउपरोक्त बैंक गौरंटी पर निर्गमन तिथि से १५ दिन के अंदर बैंक गारंटी जमा किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :.. शाहजहांपुर ....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :.. बरेली ....

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– ५)